परिशिष्टियाँ

परिशिष्टियाँ (भाग अ)

परिशिष्ट- 2.1.1

(कंडिका 2.1.2.2 (ii)(ब) में संदर्भित; पृष्ठ संख्या-9)

आवश्यक भूमि अधिग्रहण नहीं होने के कारण अपूर्ण पुल कार्य

क्र. सं.	कार्य का नाम	जिला का नाम	पूर्ण होने की तिथि/ स्थिति	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	कुल व्यय (₹ करोड़ में)	आवश्यक भूमि के प्रकार/ डिसमिल में क्षेत्रफल	अधिग्रहण की विधि	निर्गत राशि (₹ लाख में)	टिप्पणियाँ
1	धनबाद जिला में चंदनकियारी-सुइयाडीह सड़क के बीच दामोदर नदी पर उच्च स्तरीय आरसीसी गिर्डर पुल का निर्माण	धनबाद	23-11-2018/ अपूर्ण	7.44	3.82	निजी/वन भूमि/उ.न.	उ.न.	शून्य	अपूर्ण पुल
2	धनबाद प्रखण्ड के अंतर्गत कर्मपूंद गाँव में बरडुबी से लखरखवारी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	धनबाद	30-06-2018/अपूर्ण	2.04	1.64	निजी भूमि/उ.न.	उ.न.	शून्य	पहुँच-पथ नहीं बने
3	मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के अंतर्गत सरायकेला-खरसावाँ जिला में खरकई नदी पर असंगी से इटागढ़ के बीच उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण	सरायकेला-खरसावाँ	14-06-2015/अपूर्ण	6.2	5.91	निजी भूमि/उ.न.	उ.न.	शून्य	पहुँच-पथ नहीं बने
4	सरायकेला-खरसावाँ जिला में सरायकेला प्रखण्ड के अंतर्गत खरकाई नदी पर हुरंगदा और धरमडीहा के बीच पुल का निर्माण	सरायकेला-खरसावाँ	28-02-2019/अपूर्ण	4.36	2.49	रैयती भूमि/उ.न.	उ.न.	शून्य	पहुँच-पथ नहीं बने

5	पाकुर जिला में पाकुर प्रखण्ड के अंतर्गत काना नदी पर रामचंद्रपुर और तारानगर के बीच उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	पाकुर	28-02-2019/अपूर्ण	4.66	1.50	रैयती भूमि/उ.न.	उ.न.	शून्य	पहुँच-पथ नहीं बने
6	डोमचाँच प्रखण्ड के अंतर्गत केशो नदी पर कुंडीधनवार और नवलसाही भाया बछेडीह के समीप पुल का निर्माण	कोडरमा	09-11-2019/अपूर्ण	3.97	2.96	रैयती भूमि/उ.न.	उ.न.	शून्य	पहुँच-पथ नहीं बने
7	चैनपुर प्रखण्ड के विगू घाटी हरिनंमाद के अंतर्गत तहाले नदी पर उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण	पलामू	09-09-2018/अपूर्ण	3.65	3.21	रैयती भूमि/10	Not paid	शून्य	उच्च न्यायालय के निर्देश पर ₹ 1.42 लाख की क्षतिपूर्ति आकलित
8	चैनपुर प्रखण्ड में केचकी-अवसाने सड़क के बीच कोयल नदी पर उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण	पलामू	08-03-2021/अपूर्ण	8.85	2.32	वन भूमि/32	उ.न.	शून्य	पहुँच-पथ नहीं बने
9	पांकी प्रखण्ड के अंतर्गत दान्दर-कला (कॉलेज के पीछे) और यादव टोला के बीच सोनेरे नदी पर पुल का निर्माण	पलामू	17-03-2019/अपूर्ण	3.74	1.42	रैयती भूमि/उ.न.	उ.न.	शून्य	पहुँच-पथ नहीं बने
			कुल	**44.91**	**25.27**				

परिशिष्ट- 2.1.2

(कंडिका 2.1.2.2 (ii)(स) में संदर्भित; पृष्ठ संख्या-9)

एक कि.मी. के दायरे में मु.मं.ग्रा.से.यो./ प्र.मं.ग्रा.स.यो./ प.नि.वि. पुल होने के बावजूद नए मु.मं.ग्रा.से.यो. पुल का निर्माण

	मु.मं.ग्रा.से.यो.								अन्य पुल			
क्र. सं.	मु.मं.ग्रा.से.यो. पुल का नाम	जिला	प्रखंड	नदी	पुल की लागत ₹ करोड़ में	शुरू हुआ	कुल व्यय (₹ करोड़ में)	पुल की स्थिति (पुल का भाग)	पूर्व-स्थित पुल	दूरी (मीटर में)	लागत	पुल की स्थिति
1	धनबाद जिला में धनबाद प्रखण्ड के अंतर्गत मटकुरिया में श्री रघुनाथ सिंह के आवास और श्री रामपुकार रे के आवास के बीच दुर्गा मंदिर के समीप नदी पर पुल का निर्माण	धनबाद	नगरपालिका	नाला	1.13	जुलाई 2018	1.03	पूर्ण	प.नि.वि.	100	उ.न.	पूर्ण
2	धनुआडीह दुर्गापुर कुष्ट कॉलोनी के समीप नदी पर पुल का निर्माण	धनबाद	नगरपालिका		1.92	फरवरी 2017	1.9	पूर्ण	प.नि.वि.	180	उ.न.	पूर्ण
3	मरकच्चो प्रखंड के अन्तर्गत तेतरन (जयनगर) और कुशाना के बीच केशो नदी पर पुल का निर्माण	कोडरमा	मरकच्चो	केशो	4.83	अक्टूबर 2014	5.16	पूर्ण	दशरो में मु.मं.ग्रा.से.यो.	500	उ.न.	पूर्ण
									बेल्लारी में मु.मं.ग्रा.से.यो.	1000	उ.न.	पूर्ण
4	चंदवारा प्रखंड के कांको पंचायत के ग्राम छोटकी धमरी से ग्राम बलखलारा के बीच गौरी नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	कोडरमा	चंदवारा	गौरी	3.52	फरवरी 2017	3.01	पूर्ण	प.नि.वि.	600	उ.न.	पूर्ण
5	पाकुड़ जिला के पाकुड़ प्रखंड में रामचंद्रपुर एवं तारानगर ग्राम के बीच काना नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	पाकुड़	पाकुड़	काना	4.66	मई 2018	1.91	अपूर्ण	प्र.मं.ग्रा.स.यो.	600	उ.न.	पूर्ण
6	विद्यानगर-महावीरनगर गली, रोड न. 2 एवं हरमू कॉलोनी के बीच हरमू नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	रांची	नगरपालिका	हरमू	2.42	सितंबर 2013	1.96	पूर्ण	प.नि.वि.	180	उ.न.	पूर्ण
	कुल				**18.48**		**14.97**					

परिशिष्ट - 2.1.3

(कंडिका 2.1.2.2 (ii)(द) में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 11)

नगरपालिका क्षेत्र में मु.मं.ग्रा.से.यो. पुल का निर्माण

क्र.सं.	कार्य का नाम	जिला का नाम	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	स्थिति
1	धनबाद जिला में धनबाद प्रखण्ड के अंतर्गत मटकुरिया में श्री रघुनाथ सिंह के आवास और श्री रामपुकार रे के आवास के बीच दुर्गा मंदिर के समीप नदी पर पुल का निर्माण	धनबाद	1.13	पूर्ण
2	धनुआडीह दुर्गापुर कुष्ट कॉलोनी के समीप नदी पर पुल का निर्माण	धनबाद	1.88	पूर्ण
3	भूली प्रखंड में जोरया नदी पर पुल का निर्माण	धनबाद	1.19	पूर्ण
4	वार्ड 41 में लाल बँगला, श्मशानघाट के समीप जोरया नदी पर पुल का निर्माण	धनबाद	1.93	पूर्ण
5	मजना घाट में खरकाई नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	सरायकेला-खरसावाँ	4.47	पूर्ण
6	विद्यानगर-महावीरनगर गली, रोड न. 2 एवं हरमू कॉलोनी के बीच हरमू नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	रांची	2.75	पूर्ण
	कुल		**13.35**	

परिशिष्ट - 2.1.4

(कंडिका 2.1.4 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 39)

निष्पादनोपरांत रख-रखाव के अभाव में, नमूना-जाँचित प्रमंडलों में पाई गयी पुलों में हुई भौतिक क्षति

क्र. सं.	कार्य का नाम	जिला का नाम	पूर्ण होने की तिथि	भौतिक सत्यापन की तिथि	संयुक्त भौतिक सत्यापन दल की टिप्पणियाँ
1	सिसई में छरदा रोड पर कंस नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	गुमला	31 मार्च 2016	19 नवंबर 2019	अधिसंरचना: बेयरिंग के गलत काम करने के कारण पुल के डेक स्लैब में प्रत्यक्ष झटका महसूस किया गया, क्षतिग्रस्त वेयारिंग कोट, वेयारिंग कोट के कंक्रीट खुले पाए गए, जंगला में दरारें, क्षतिग्रस्त पहुँच स्लैब
2	गुमला जिला के सिसई प्रखंड के अंतर्गत्, मथानी-जलका में कंस एवं अदिया नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	गुमला	14 अक्टूबर 2018	19 नवंबर 2019	पहुँच-पथ का हिस्सा: पहुँच-पथ के अलकतरित सतह में दरारें पायी गयीं तथा अलकतरित सतह धंसा हुआ पाया गया
3	गुमला जिला के सिसई प्रखंड में सहिजाना से घाघरा के बीच दक्षिण कोयल नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	गुमला	27 जनवरी 2018	19 नवंबर 2019	कोई टिपण्णी नहीं
4	गुमला जिला के बसिया प्रखंड में जोलो और मुरकुंडा सड़क पर कोयल नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	गुमला	भौतिक रूप से पूर्ण (यातायात चलायमान)	19 नवंबर 2019	बालू उत्खनन: पुल स्थल के समीप बालू उत्खनन अंतत: पुल की नींव में अतिसार का कारण बना पहुँच-पथ का हिस्सा: पहुँच-पथ का क्षतिग्रस्त फ्लैंक बह गया था
5	गुमला जिला के सिसई प्रखंड के अंतर्गत्, छरदा रोड एवं कारकरी रोड के बीच दोमुहाना में कारो नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	गुमला	भौतिक रूप से पूर्ण (यातायात चलायमान)	19 नवंबर 2019	पहुँच-पथ का हिस्सा: एक तरफ क्षतिग्रस्त तथा डब्लूबीएम सतह खुला पाया गया
6	पाकुड़ जिला के महेशपुर प्रखंड में चांदलमारा एवं घाट छोरा के बीच बसलोई नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	पाकुड़	4 अक्टूबर 2017	23 जनवरी 2020	नींव: नींव में अतिसार के कारण, चार पायों के पाइल-कैप दिखाई दे रहे थे, पुल स्थल के समीप बालू उत्खनन पाया गया
7	पाकुड़ जिला के महेशपुर प्रखंड में चांदलमारा एवं घाट छोरा के बीच बसलोई नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	पाकुड़	15 जून 2015	23 जनवरी 2020	नींव: नींव में अतिसार के कारण, छ: पायों के पाइल-कैप दिखाई दे रहे थे, गार्ड-दीवार मिट्टी से ढंकी नहीं पायी गयी (स्खलन के कारण)
8	सरायकेला-खरसावाँ जिला के इचागढ़ प्रखंड में खोकरो-करकीडीह में स्वर्णरेखा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	सरायकेला-खरसावाँ	17 अगस्त 2016	07 जनवरी 2020	अधिसंरचना: विस्तार-जोड़ गायब था, रेलिंग में दरारें, फुटपाथ के तीन स्लैब क्षतिग्रस्त पाए गए, पहुँच-पथ का हिस्सा: ग्रेड III रोड में, डब्ल्यूबीएम की सतह बह गई और केवल मिट्टी-मुर्रम हिस्सा मौजूद था। पुल के आरंभ/ अंत में पहुँच-पथ के पास पहुंच स्लैब के किनारे बह गए थे
9	धनबाद जिला में धनबाद प्रखण्ड के अंतर्गत मटकुरिया में श्री रघुनाथ सिंह के आवास और श्री रामपुकार रे के आवास के बीच दुर्गा मंदिर के समीप नदी पर पुल का निर्माण	धनबाद	भौतिक रूप से पूर्ण (पुल पर कार खड़ी की गयी)	27 नवंबर 2019	नींव :पुल के नीचे कचरा जमा होने से नदी का प्रवाह बाधित हो जाता है जिससे पुल क्षतिग्रस्त हो सकता है

10	धनुआडीह दुर्गापुर कुष्ट कॉलोनी के समीप नदी पर पुल का निर्माण	धनबाद	25 अगस्त 2018	27 नवंबर 2019	कोई टिपण्णी नहीं
11	भूली प्रखंड में जोरया नदी पर पुल का निर्माण	धनबाद	31 मार्च 2018	04 दिसंबर 2019	कोई टिपण्णी नहीं
12	वार्ड 41 में लाल बँगला, श्मशानघाट के समीप जोरया नदी पर पुल का निर्माण	धनबाद	31 मार्च 2018	04 दिसंबर 2019	कोई टिपण्णी नहीं
13	मरकच्चो प्रखंड के अन्तर्गत तेतरन (जयनगर) और कुशाना के बीच केशो नदी पर पुल का निर्माण	कोडरमा	26 फरवरी 2018	28 फरवरी 2020	नींव : नींव में अतिसार के कारण छः पायों के पाइल-कैप दिखाई दे रहे थे, पुल स्थल के आसपास रेत उत्खनन देखा गया था
14	सतगावां प्रखंड के अंतर्गत अंबाबाद पंचायत में पीडब्लूडी रोड से अंगरपथ पर चोटनार नदी पर पुल का निर्माण	कोडरमा	29 मई 2017	25 फरवरी 2020	पहुँच-पथ: दोनों तरफ डब्ल्यूबीएम की सतह क्षतिग्रस्त
15	सतगावां प्रखंड के बासोडीह एवं मरचोई में सकरी नदी पर उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण	कोडरमा	20 जुलाई 2010	25 फरवरी 2020	नींव: नींव में अतिसार के कारण, पाँच पियरों के पाइल-कैप दिखाई दे रहे थे; अधिसंरचना: पी7-पी8 और पी8-पी9 के बीच डेक स्लैब झुका हुआ था
16	सतगावां प्रखंड के घोरसिमार एवं मोदीडीह पथ पर सकरी नदी पर उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण	कोडरमा	28 अक्टूबर 2016	25 फरवरी 2020	नींव: ग्रामीण द्वारा पुल के तीन स्पैन का अतिक्रमण किया गया था जिससे नदी के पानी के प्रवाह में बाधित हो रहा था; अधिसंरचना: विस्तार-जोड़ गायब था; पहुँच-पथ का हिस्सा: पहुँच-पथ के पास पहुँच स्लैब बह गया था
17	छतरपुर प्रखंड (गुरदी एवं खजुरी ग्राम) में छतरधारी नदी पर पुल का निर्माण	पलामू	14 जुलाई 2019	15 मार्च 2020	अधिसंरचना: दोनों तरफ के पहुँच स्लैब क्षतिग्रस्त, पहुँच-पथ का हिस्सा: पहुँच-पथ क्षतिग्रस्त
18	हरिहरगंज प्रखंड के खरकपुर में बतान नदी पर पुल का निर्माण का शेष कार्य	पलामू	10 अगस्त 2019	15 मार्च 2020	नींव: नींव में अतिसार के कारण, चार पियरों के पाइल-कैप दिखाई दे रहे थे
19	पांकी प्रखंड में पांकी मुख्य सड़क से सरैया-मझिगाम से झालखनाडीह को जोड़ने वाली सड़क पर अमानत नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	पलामू	भौतिक रूप से पूर्ण (यातायात चलायमान)	15 मार्च 2020	नींव : नींव में अतिसार के कारण दो पायों के पाइल-कैप दिखाई दे रहे थे, पुल स्थल के आसपास रेत उत्खनन देखा गया था अधिरचना: विस्तार-जोड़ का आधा हिस्सा टूटा हुआ और गायब था, वीप-होल में गाद था, जिसके परिणामस्वरूप पुल में पानी जमा हो जाएगा, पहुँच-पथ का हिस्सा: दोनों तरफ पहुँच-पथ का किनारा बह गया था
20	सतबरबा प्रखंड के दुलसुमा ग्राम में दुलसुमा (चदेर सं. 2) से सतबरबा (डाल्टेनगंज) को जोड़ने वाली सड़क पर मलय नदी पर पुल का निर्माण	पलामू	28 जनवरी 2019	16 मार्च 2020	नींव: पुल के नीचे अतिक्रमण था, जिसके परिणामस्वरूप नदी के पानी के प्रवाह में बाधित होगा अधिरचना: वीप-होल में गाद था, जिसके परिणामस्वरूप पुल में पानी जमा हो जाएगा

परिशिष्ट-2.2.1

(कंडिका 2.2.3.1 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 49)

आरोपित व्यक्तियों के खाते में ₹ 15.84 करोड़ के हस्तांतरण की विस्तृत विवरणी

भुगतित	डीएलाइसी द्वारा पता लगाई गयी कपटपूर्ण भुगतान (₹लाख में)	लेखापरीक्षा द्वारा पता लगाई गयी अतिरिक्त कपटपूर्ण भुगतान (₹लाख में)	कुल कपटपूर्ण भुगतान	संलिप्त बैंक खातों की संख्या	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
कैशियर और उसके रिश्तेदार (आठ व्यक्ति और कैशियर की पत्नी द्वारा संचालित एक एनजीओ- सेनवर्ड)	228.95	60.17	289.12	14	डीडब्ल्यूओ द्वारा कैशियर और उसके रिश्तेदारों को ₹ 60.17 लाख[81] का अतिरिक्त कपटपूर्ण भुगतान (अक्टूबर 2014 और मई 2017 के बीच) किया गया था। ये आरटीजीएस[82] /एनईएफटी[83] भुगतान, चेक निकासी विवरण और बैंक वाउचर की जाँच के दौरान पाए गए थे और बैंक विवरण में दर्ज खाता संख्या कैशियर और उसके रिश्तेदारों के नाम पर पाई गई थी।
	225.41	शून्य	225.41	7[84]	बैंक प्रबंधक द्वारा खाता संख्या में विसंगतियों के बारे में बताए जाने पर (मई 2017), यद्यपि कपटपूर्ण भुगतानों को डीडब्ल्यूओ, चतरा के बैंक खाते में वापस जमा कर दिया गया था, फिर भी डीडब्ल्यूओ ने उस प्रथा को जारी रखा, जिससे ₹ 6.01 करोड़ का और कपटपूर्ण भुगतान का मार्ग प्रशस्त हुआ, जैसा कि प्रतिवेदन की कंडिका 2.2.3.2 में विस्तृत है।
दो एनजीओ	253.04	172.04	425.08	5	₹ 1.72 करोड़ में से, ₹ 1.37 करोड़ का भुगतान एक एनजीओ (प्रयास) को किया गया, जिसे ₹ 2.53 करोड़ का भुगतान पहले हुआ था जैसा कि डीएलआईसी द्वारा पता लगाया गया था। इसके अलावा, एक अन्य एनजीओ (सपोर्ट) को ₹ 34.70 लाख का भुगतान किया गया।
तीन व्यक्तियों	98.34	57.59	155.93	8	
दो आपूर्तिकर्ता	40.00	शून्य	40.00	2	

[81] ₹ 60.17 लाख में से ₹ 57.52 लाख 2016-18 की अवधि (अर्थात् डीएलआईसी के दायरे में) से संबंधित थे और शेष ₹ 2.65 लाख की राशि 2016-18 से पहले की थी।

[82] रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट

[83] राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर

[84] ₹ 2.25 करोड़ कैशियर और रिश्तेदारों के विरूद्ध 14 बैंक खातों में से, जिनमें से चार एकसमान थे, 11 खातों में स्थानांतरित किए गए, जैसा कि ऊपर बताया गया है

					₹ 57.59 लाख में से, ₹ 16.25 लाख का भुगतान दो व्यक्तियों (डीएलआईसी रिपोर्ट में नहीं) को किया गया और शेष ₹ 41.34 लाख एक व्यक्ति को दिया गया, जिसका पता डीएलआईसी ने भी लगाया था। आरटीजीएस/एनईएफटी भुगतानों, चेक निकासी विवरण, बैंक वाउचर आदि की गहन जाँच में इन भुगतानों का पता चला।
तीन अस्तित्वहीन संस्थान	88.20	163.71	251.91	2[85]	डीएलआईसी ने दो फर्जी संस्थानों का पता लगाया, जिन्हें बैंक हस्तांतरण के माध्यम से ₹ 88.20 लाख का भुगतान किया गया था। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि डीडब्ल्यूओ ने एक संस्थान के 346 छात्रों को ₹ 83.64 लाख का भुगतान किया था, जो अस्तित्व में भी नहीं था। इसके अलावा, डीडब्ल्यूओ ने दो अस्तित्वहीन संस्थानों के 234 छात्रों को ₹ 80.07 लाख का भुगतान किया था, जिसे डीएलआईसी द्वारा पहले ही पता लगा लिया गया था।
आवासीय विद्यालय के शिक्षक (छः)	शून्य	183.76	183.76	9	डीडब्ल्यूओ ने छः शिक्षकों के व्यक्तिगत खातों में ₹ 1.84 करोड़ हस्तांतरित (अप्रैल 2013 से फरवरी 2018) किया, परन्तु लेखापरीक्षा को भुगतान का उद्देश्य नहीं बताया गया, यद्यपि जनवरी 2019 में पूछे गये थे। उसी प्रकार, ₹ 12.32 लाख का भुगतान (दिसंबर 2015) एक कार्यपालक दंडाधिकारी को एक बेयरर चेक के माध्यम से किया गया, परन्तु लेखापरीक्षा को भुगतान का उद्देश्य नहीं बताया गया, यद्यपि जनवरी 2019 में पूछे गये थे।
कार्यपालक दंडाधिकारी (एक)	0	12.32	12.32	0	
कुल (26)	**933.94**	**649.59**	**1583.53**	**47**	

[85] चतरा तकनीकी संस्थान और अनन्या इंफोटेक के खाते, जिसमें ₹ 88.20 लाख का भुगतान किया गया था

परिशिष्ट-2.2.2

(कंडिका 2.2.3.2 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 50)

जून 2017 और मई 2018 के बीच डीडब्ल्यूओ, चतरा के बैंक खातों से आरोपियों के खातों में हस्तांतरित राशि को दिखाता विवरण

क्र.सं.	आरोपियों के नाम	राशि (₹ में)	टिप्पणियाँ
1	सेनवर्ड	16557267	एनजीओ
2	आशीष कुमार	5695000	कैशियर का दामाद
3	चन्दा प्रसाद	750820	कैशियर की पुत्री
4	इन्द्रदेव प्रसाद	1445993	कैशियर
5	पृथ्वी प्रसाद	550253	कैशियर का पुत्र
6	रूपा देवी	1775000	कैशियर की पुत्री
7	अनन्या इंफोटेक	5400000	अस्तित्वहीन संस्थान
8	चतरा तकनीकी संस्थान	3420000	अस्तित्वहीन संस्थान
9	मिथिलेश मिश्रा	9605000	सेवानिवृत प्रखंड कल्याण पदाधिकारी
10	प्रयास	7689393	एनजीओ
11	सूरज अग्रवाल	2200000	व्यक्ति
12	विराट टेलीकॉम	1800000	आपूर्तिकर्ता
13	सुभाष कुमार	875000	व्यक्ति
14	सपोर्ट	2281856	एनजीओ
	कुल	**60045582**	

परिशिष्ट-2.2.3

(कंडिका 2.2.3.3 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 51)

जून 2018 और जनवरी 2019 के बीच आरोपियों द्वारा उनके बैंक खातों से निकाली गई राशि को दिखाता विवरण

क्र.सं.	खाताधारियों के नाम (सु/श्री)	बैंक का नाम	खाता संख्या	निकाली गई राशि (₹ लाख में)
डीडीसी ने जिन खातों के लिए बैंकों से परिचालन निलंबित करने का अनुरोध नहीं किया था				
1	सुनीता देवी	भा.स्टे.बैं., झुमरा	11767371529	6199
2	मिथिलेश मिश्रा	यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया, चतरा	645602010001968	3000
	उप-योग			**9199**
डीडीसी के अनुरोध के बावजूद बैंकों द्वारा जिन खातों का संचालन निलंबित नहीं किया गया				
1	अनन्या इंफोटेक	यूको बैंक, बरही	27610210000342	1016500
2	आशीष कुमार	यूको बैंक, बरही	27610210000595	2946032
3	चन्दा प्रसाद	आइसीआइसीआइ बैंक, मटवारी, हजारीबाग	246001000237	384800
4	चन्दा प्रसाद	भा.स्टे.बैं., झुमरा	32623847113	194500
5	इन्द्रदेव प्रसाद	पीएनबी, चतरा	6118001700000022	390000
6	इन्द्रदेव प्रसाद	बैंक ऑफ बडौदा, चतरा	29230100020105	4000
7	पृथ्वी प्रसाद	भा.स्टे.बैं., दारु	34361815400	10772
8	रूपा देवी	यूको बैंक, बरही	27610110002704	950000
	उप-योग			**5896604**
	कुल योग			**5905803**

परिशिष्ट-2.2.4

(कंडिका 2.2.3.4 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 51)

जुलाई 2019 से फरवरी 2020 के बीच आरोपियों द्वारा उनके बैंक खातों से निकाली गई राशि को दिखाता विवरण

क्र.सं.	खाताधारियों के नाम (सु/श्री)	बैंक का नाम	खाता संख्या	निकालने की तिथि	निकाली गई राशि (₹ में)
1.	सुनीता देवी	पीएनबी, चतरा	6118001700001687	30.12.2019	5.00
				27.01.2020	4.00
				10.02.2020	2.00
2.	तारा प्रसाद	पीएनबी, चतरा	6118000100018114	09.07.2019	16.08
				09.07.2019	16.54
				कुल	**43.62**

परिशिष्ट-2.2.5

(कंडिका 2.2.3.5 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 52)

फर्मों, संस्थानों, एनजीओ आदि द्वारा, जिन्होंने डीडब्ल्यूओ, चतरा से भुगतान प्राप्त किया था, कैशियर और उसके रिश्तेदारों के बैंक खातों में हस्तांतरित राशि को दिखाता विवरण

क्र.सं.	डीडब्ल्यूओ का बैंक खाता संख्या	डीडब्ल्यूओ खातों में डेबिट की तिथि	चेक संख्या	राशि	भुगतान प्राप्तकर्ताओं का नाम	प्राप्तकर्ताओं का खाता संख्या	हस्तांतरण की तिथि	चेक संख्या	राशि	हस्तांतरण करने वाले का नाम	कैशियर से संबंध
1.	भा.स्टे.बैं. 11475683653	12-02-2016	916888	537407	प्रयास	भा.स्टे.बैं. 31021405403	19-09-2017	468883	750000	तारा प्रसाद	पुत्री
2.	भा.स्टे.बैं. 11475683653	03-03-2016	916910	1001852	-वही-	भा.स्टे.बैं. 31021405403	07-08-2017	468879	750000	सुनीता देवी	पत्नी
3.	भा.स्टे.बैं. 11475683653	31-05-2017	490318	1538500	-वही-	कैनरा बैंक 1421101022721	23-02-2018	135976	200000	चन्दा प्रसाद	पुत्री
4.	भा.स्टे.बैं. 11475683653	03-06-2017	490314	1336526	-वही-	कैनरा बैंक 1421101019296	11-04-2018	135994	100000	-वही-	पुत्री
5.	भा.स्टे.बैं. 11475683653	17-01-2018	645479	207100	-वही-	भा.स्टे.बैं. 31021405403	02-01-2018	135951	300000	-वही-	पुत्री
6.	भा.स्टे.बैं. 11475683653	17-01-2018	645480	389767	-वही-	भा.स्टे.बैं. 31021405403	15-06-2017	468872	475000	-वही-	पुत्री
7.	भा.स्टे.बैं. 11475683653	01-05-2018	490366	350000	-वही-	भा.स्टे.बैं. 31021405403	13-06-2017	468871	600000	-वही-	पुत्री
8.	झारखण्ड ग्रामीण बैंक(झाग्राबैं) 302210100001145	15-09-2017	764144	1800000	-वही-	कैनरा बैंक 1421101019296	07-06-2017	296535	750000	-वही-	पुत्री
9.	भा.स्टे.बैं. 11475685163	29-07-2017	807203	1806000	-वही-	कैनरा बैंक 1421101019296	19-09-2017	468882	750000	-वही-	पुत्री
10.	यूबीआइ 645020100000949	15-09-2017	2017921	1800000	-वही-	कैनरा बैंक 1421101019296	02-11-2017	468886	750000	-वही-	पुत्री
11.	भा.स्टे.बैं. 11475685163	27-06-2017	807158	550795	मिथिलेश मिश्रा	बैंक ऑफ़ इंडिया 490010100015193	28-06-2017	58840	750000	इन्द्रदेव प्रसाद	स्वयं
12.	भा.स्टे.बैं. 11475685163	11-07-2017	807174	560000	-वही-	यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया 6456020100001968	09-08-2017	2017327	500000	चन्दा प्रसाद	पुत्री
13.	भा.स्टे.बैं. 11475685163	25-07-2017	807205	500000	-वही-	आइसीआइसीआइ 3888401000332	05-06-2017	478	300000	इन्द्रदेव प्रसाद	स्वयं
14.	भा.स्टे.बैं. 11475685163	26-07-2017	807204	500000	-वही-	यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया 0294010095281	31-07-2017	874832	440000	-वही-	स्वयं

क्र.सं.	डीडब्ल्यूओ का बैंक खाता संख्या	डीडब्ल्यूओ खातों में डेबिट की तिथि	चेक संख्या	राशि	भुगतान प्राप्तकर्ताओं का नाम	प्राप्तकर्ताओं का खाता संख्या	हस्तांतरण की तिथि	चेक संख्या	राशि	हस्तांतरण करने वाले का नाम	कैशियर से संबंध
15.	भा.स्टे.बैं. 11475685163	09-08-2017	807212	550000	-वही-	आइसीआइसीआइ 3888401000332	09-08-2017	298	500000	चन्दा प्रसाद	पुत्री
16.	भा.स्टे.बैं. 11475685163	29-06-2017	807180	825000	-वही-	यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया 6456020100001968	13-07-2017	2016120	500000	इन्द्रदेव प्रसाद	स्वयं
17.	भा.स्टे.बैं. 11475685163	30-06-2017	807181	675000	-वही-	यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया 6456020100001968	26-05-2017	91100167	1600470	-वही-	स्वयं
18	भा.स्टे.बैं. 11475685163	04-08-2017	807211	550000	-वही-	यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया 6456020100001968	03-07-2017	2016104	575000	-वही-	स्वयं
19.	यूबीआइ 645020100000949	29-08-2017	2008137	880000	-वही-	यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया 6456020100001968	03-07-2017	2016102	825000	-वही-	स्वयं
20.	झाग्राबैं 302210100001145	23-05-2017	764138	325732	-वही-	झारखण्ड ग्रामीण बैंक 300910100003499	31-05-2017	772777	330000	-वही-	स्वयं
21.	यूबीआइ 645020100000949	24-05-2017	2008141	906000	-वही-	यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया 6456020100001968	13-09-2017	2017340	442000	-वही-	स्वयं
22.	भा.स्टे.बैं. 11475685163	10-07-2017	807179	850000	सूरज अग्रवाल	भा.स्टे.बैं. 31787214235	13-07-2017	238549	800000	-वही-	स्वयं
23.	भा.स्टे.बैं. 11475685163	10-07-2017	807187	670000	-वही-	भा.स्टे.बैं. 31787214235	13-07-2017	238548	900000	-वही-	स्वयं
24	भा.स्टे.बैं. 11475685163	29-07-2017	807209	1800000	अनन्या इंफोटेक	यूको बैंक 276102100000342	05-09-2017	701304	725000	-वही-	स्वयं
25.	झाग्राबैं 302210100001145	31-08-2017	764141	1800000	-वही-	यूको बैंक 276102100000342	31-07-2017	701303	1530000	-वही-	स्वयं
26.	यूबीआइ 645020100000949	04-09-2017	2008134	1800000	-वही-	यूको बैंक 276102100000342	03-01-2018	701313	500000	आशीष कुमार	दामाद
27.	यूबीआइ 645020100000949	15-09-2017	2017924	1365000	चतरा तकनीकी संस्थान	बैंक ऑफ़ इंडिया 481420110000073	19-01-2018	86131	250000	इन्द्रदेव प्रसाद	स्वयं
28.	झाग्राबैं 302210100001145	15-09-2017	764145	1265000	-वही-	बैंक ऑफ़ इंडिया 481420110000073	27-09-2017	86120	1000000	सूरज अग्रवाल	पुत्र
29.	झाग्राबैं 302210100001145	15-09-2017	764145	1265000	-वही-	बैंक ऑफ़ इंडिया 481420110000073	15-09-2017	आरटीजीएस	750000	पृथ्वी प्रसाद	पुत्र

क्र.सं.	डीडब्ल्यूओ का बैंक खाता संख्या	डीडब्ल्यूओ खातों में डेबिट की तिथि	चेक संख्या	राशि	भुगतान प्राप्तकर्ताओं का नाम	प्राप्तकर्ताओं का खाता संख्या	हस्तांतरण की तिथि	चेक संख्या	राशि	हस्तांतरण करने वाले का नाम	कैशियर से संबंध
30	भा.स्टे.बैं. 11475683653	26-05-2017	233968	750000	बाबूलाल	बीओआइ, शाखा कोड: 5965, हजारीबाग	20-06-2017	9953	725000	-वही-	पुत्र
31	भा.स्टे.बैं. 11475685163	27-06-2017	807161	548900	मिथिलेश मिश्रा	बीओआइ मिथिलेश मिश्रा	28-06-2017	58843	700000	इन्द्रदेव प्रसाद	
32	भा.स्टे.बैं. 11475685163	09-08-2017	807218	575000	-वही-	बीओआइ चतरा द्वारा स्वीकृत	17-08-2017	58849	92000	तारा प्रसाद	पुत्री
33	भा.स्टे.बैं. 11475685163	09-08-2017	807218	575000	-वही-	बीओआइ चतरा द्वारा स्वीकृत	20-05-2017	58828	250000	इन्द्रदेव प्रसाद	स्वयं
34	भा.स्टे.बैं. 11475683653	19-07-2017	233990	500000	-वही-	आइसीआइसीआइ 3888401000332	27-07-2017	296	460000	इन्द्रदेव प्रसाद	स्वयं
35	भा.स्टे.बैं. 11475683653	08-03-2017	234109	250000	-वही-	भा.स्टे.बैं. 11475787368	08-03-2017	607200	250000	खाता सं. 11475767352	संबंधी
36	भा.स्टे.बैं. 11475683653	09-11-2015	916860	230265	प्रयास	कैनरा बैंक, हजारीबाग 1421101022721	13-06-2017	468910	750000	पी. प्रसाद	पुत्र
37	भा.स्टे.बैं. 11475683653	30-09-2015	916843	369735	-वही-	कैनरा बैंक, हजारीबाग	19-06-2017	468911	675000	पी. प्रसाद	पुत्र
38	भा.स्टे.बैं. 11475683653	31-03-2014	149646	257000	-वही-	कैनरा बैंक, हजारीबाग	888773	18-01-17	115000	सुनीता देवी	पत्नी
39	भा.स्टे.बैं. 11475683653	10-05-2013	149943	746084	-वही-	भा.स्टे.बैं. 31021405403	03-01-2017	348642	200000	-वही-	पत्नी
40	भा.स्टे.बैं. 11475683653	26-03-2015	786902	1727736	-वही-	भा.स्टे.बैं. 31021405403	09-06-2017	296534	950000	-वही-	पत्नी
41	भा.स्टे.बैं. 11475683653	26-03-2015	786903	799818	-वही-	भा.स्टे.बैं. 31021405403	07-08-2017	296572	750000	तारा प्रसाद	पुत्री
42	भा.स्टे.बैं. 11475683653	26-03-2015	786904	520400	-वही-	भा.स्टे.बैं. 31021405403	27-02-2018	135978	200000	चन्दा प्रसाद	पुत्री
43	भा.स्टे.बैं. 11475685163	23-08-2017	807229	875000	सुभाष कुमार	भा.स्टे.बैं. 30182298899	24-08-2017	359605	625059	-वही-	पुत्री
44	भा.स्टे.बैं. 11475683653	28-03-2018	645493	2200000	सपोर्ट, हजारीबाग	यूनाईटेड बैंक, डीवीसी, हजारीबाग	03-04-2018	481509	100000	-वही-	पुत्री
								कुल	**25484529**		

परिशिष्टियाँ (भाग स)

परिशिष्ट– 1.1.1

(कंडिका 1.2.8 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 137)

ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार, वित्तीय परिणाम का सारांशित विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के नाम एवं क्रियाकलाप	लेखाओं की अवधि	ब्याज एवं कर से पूर्व शुद्ध लाभ/ हानि	ब्याज एवं कर के बाद शुद्ध लाभ/ हानि	टर्नओवर	प्रदत पूँजी	नियोजित पूंजी	निवल मूल्य [1]	संचयित लाभ/ हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अ	**उत्पादन**								
1	तेनुघाट विद्युत् निगम लिमिटेड	**2014-15**	194.8	92.57	692.24	105	-65.13	-1013.63	-1118.63
2	झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड	2016-17	-1.28	-1.28	12.44	40.03	20.37	20.4	-19.63
उप-योग			**193.52**	**91.29**	**704.68**	**145.03**	**-44.76**	**-993.23**	**-1138.26**
ब	**संचरण**								
3	झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड	2017-18	24.67	-358.27	218.65	972.96	4010.36	396.98	-575.98
उप-योग				**24.67**	**-358.27**	**218.65**	**972.96**	**4010.36**	**396.98**
C.	**अन्य**								
4	कर्णपुरा ऊर्जा लिमिटेड	2017-18	0	-3.58	0	0.05	27.72	-19.47	-1.3
5	झारबिहार कोलियरी लिमिटेड	2016-17	-3.43	-3.43	0	1	1.02	-2.89	-1.3
6	पतरातू ऊर्जा लिमिटेड	2017-18	-0.01	-0.55	0	0.05	23.79	-7.47	-7.52
7	झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	2013-14	-0.29	-0.29	0	8.4	4135.61	6.1	-2.3
8	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2017-18	-167.38	**-212.17**	3199.39	3108.93	13061.832	-1918.33	-4036.15
उप-योग			**-171.11**	**-220.02**	**3199.39**	**3118.43**	**17249.97**	**-1942.06**	**-4048.57**
कुल-योग			**47.08**	**-487**	**4122.72**	**4236.42**	**21215.57**	**-2538.31**	**-5762.81**

[1] निवल मूल्य प्रदत्त पूँजी और मुक्त-संचय एवं अधिशेष का कुल योग है घटाव संचित हानि तथा स्थगित राजस्व व्यय

परिशिष्ट-1.1.2

(कंडिका 1.3.4 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 147)

31 मार्च 2019 तक राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) के संबंध में अंश-पूँजी तथा बकाया ऋण की स्थिति दिखाता विवरण

क्र.सं.	प्रक्षेत्र एवं पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	निगमित होने का महीना एवं वर्ष	वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर अंश-पूँजी [1]				वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर बकाया दीर्घकालीन ऋण			
				झा.स.[2]	भा.स.[3]	अन्य	कुल	झा.स.	भा.स.	अन्य	कुल
1	2	3	4	5 (अ)	5 (ब)	5 (स)	5 (द)	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)
अ	सामाजिक प्रक्षेत्र										
	I. कार्यरत सरकारी कंपनी										
1	झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वाहक सिंचाई निगम लिमिटेड	जल संसाधन	22.03.2002	5.00			5.00	5.25			5.25
2	झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम लिमिटेड	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण	22.03.2002	1.01			1.01	0.00			0.00
3	झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (जेएसएफडीसी)	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	27.03.2002	0.55			0.55				0.00
4	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जेएसएमडीसी)	खान एवं भू-गर्भ शास्त्र	07.05.2002	2.00			2.00				0.00
5	राज्य पेय पदार्थ निगम लिमिटेड (जेएसबीसीएल)	उत्पाद	26.11.2010	2.00			2.00				0.00
6	झारखण्ड राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	18.06.2010	5.00			5.00	43.96			43.96
7	झारखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संरचना विकास एवं खरीद निगम लिमिटेड	स्वास्थ्य, चिकित्सीय शिक्षा एवं परिवार कल्याण	24.05.2013	5.00			5.00				0.00

8	झारखण्ड रेल संरचना विकास लिमिटेड	उद्योग	06.07.2018	4.08		3.92	8.00				0.00
9	झारखण्ड राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड	कृषि	20.01.2016	2.00			2.00				0.00
	कुल अ-I			26.64	0.00	3.92	30.56	**49.21**	**0.00**	**0.00**	**49.21**
	II. अकार्यरत सरकारी कंपनी										
	कुल अ-II			0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	कुल अ (I+II)			26.64	0.00	3.92	30.56	**49.21**	**0.00**	**0.00**	**49.21**
ब	**प्रतियोगी प्रक्षेत्र**										
	I. कार्यरत सरकारी कंपनी										
10	झारखण्ड संचार नेटवर्क लिमिटेड	सूचना तकनीक एवं इ-गवर्नेंस	28.01.2017	0.00			0.00				0.00
11	झारखण्ड चलचित्र विकास निगम लिमिटेड	सूचना तकनीक एवं इ-गवर्नेंस	07.09.2016	0.00			0.00				0.00
12	झारखण्ड शहरी संरचना विकास कंपनी लिमिटेड	शहरी विकास एवं आवास	19.11.2013	45.00			45.00				0.00
13	आदित्यपुर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर लिमिटेड	उद्योग	17.12.2016			27.83	27.83				
14	झारखण्ड राज्य उद्योग संरचना विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	15.12.2004	15.00			15.00				0.00
15	झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	शहरी विकास एवं आवास	05.12.2015	2.00			2.00				0.00
16	वृहत राँची विकास एजेंसी	शहरी विकास एवं आवास	10.01.2003	164.14			164.14				0.00
17	अटल बिहारी बाजपेयी नवोन्मेष प्रयोगशाला	उद्योग	26.12.2018	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	झारखण्ड प्लास्टिक पार्क लिमिटेड	उद्योग	27.09.2016	0.00		0.01	0.01			0.18	0.18
19	झारखण्ड शहरी परिवहन निगम लिमिटेड	शहरी विकास एवं आवास	20.09.2016	45.00			45.00				0.00

20	झारखण्ड सिल्क वस्त्र एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	23.08.2006	10.00			10.00				0.00
21	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल-कूद एवं युवा मामले	22.03.2002	9.50			9.50				0.00
	कुल ब-I			**290.64**	**0.00**	**27.84**	**318.48**	**0.00**	**0.00**	**0.18**	**0.18**
II. अकार्यरत सरकारी कंपनी											
	कुल ब-II			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	कुल ब (I+II)			**290.64**	**0.00**	**27.84**	**318.48**	**0.00**	**0.00**	**0.18**	**0.18**
स	**अन्य प्रक्षेत्र**										
	I. कार्यरत सरकारी कंपनी										
22	राँची स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड	परिवहन	30.09.2016	13.00			13.00				
23	झारखण्ड पुलिस हाउसिंग निगम लिमिटेड (जेपीएचसीएल)	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	13.03.2002	2.00			2.00				0.00
	कुल स-I			**15.00**	**0.00**	**0.00**	**15.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	कुल स-II			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	कुल स (I+II)			**15.00**	**0.00**	**0.00**	**15.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
				332.28	0.00	31.76	364.04	49.21	0.00	0.18	49.39

परिशिष्ट-2.1.1

(कंडिका 2.1.2 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 165)

झापनी की शुरुआत के बाद निर्मित सम्पति की सूची और जेटीडीसी को हस्तांतरित विवरण

क्र.सं.	परिसंपत्तियों के नाम	जिला	निर्माण वर्ष	हस्तांतरण परिपत्र संख्या एवं तिथि	प्रबंधन का तरीका
1.	20 कमरों का पर्यटक परिसर, नेतरहाट	लातेहार	2016	123/07.08.2017	स्व-संचालित
2.	स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स, मैथन	धनबाद	लागू नहीं	115/25.07.2017	निष्क्रिय
3.	पर्यटक परिसर (I एवं II), अजय बराज, सिकटिया	देवघर	2017	96/04.07.2017	निष्क्रिय
4.	मार्गीय सुविधा केंद्र, NH 33 पर चांडिल और काली मन्दिर के बीच, दलमा अभ्यारण के समीप	सरायकेला-खरसावाँ	2017	82/08.06.2017	निष्क्रिय
5.	मार्गीय सुविधा केंद्र, हमसदा	सरायकेला-खरसावाँ	2017	82/08.06.2017	निष्क्रिय
6.	मार्गीय सुविधा केंद्र, धालभूमगढ़, बहरागोड़ा	पूर्वी सिंहभूम	2017	82/08.06.2017	निष्क्रिय
7.	कम्यूनिटी सेंटर बिल्डिंग, पर्यटक सुविधा परिसर, किचेन शेड, ढोरीमाता मरियम, फुसरो	बोकारो	2015	68/28.10.2015	निष्क्रिय
8.	बहुद्देशीय भवन, योगिनी स्थान	गोड्डा	2016	68/28.10.2015	निष्क्रिय
9.	बहुद्देशीय भवन, शिवपुर रत्नेश्वर धाम	गोड्डा	2016	68/28.10.2015	निष्क्रिय
10	बहुद्देशीय भवन, धमशा मंदिर	गोड्डा	2016	68/28.10.2015	निष्क्रिय
11	बहुद्देशीय भवन, बुढ़ई मंदिर मधुपुर	देवघर	2016	68/28.10.2015	निष्क्रिय
12	बहुद्देशीय भवन, पथरोल मंदिर, मधुपुर	देवघर	2016	68/28.10.2015	निष्क्रिय
13	बहुद्देशीय भवन, हरिहर धाम	गिरिडीह	2015	68/28.10.2015	निष्क्रिय
14	बहुद्देशीय भवन-सह- अतिथि गृह, पुनासी	देवघर	2018	100/29.10.2018	निष्क्रिय
15	विवाह मंडप-सह-अतिथि गृह, चौगाना धाम, छतरपुर	पलामू	2015	68/28.10.2015	निष्क्रिय
16	रेस्टोरेंट-सह-हाल, पालकोट	गुमला	2015	68/28.10.2015	निष्क्रिय
17	पर्यटक सुविधा केंद्र, राजमहल	साहेबगंज	2015	68/28.10.2015	निष्क्रिय
18	प्रकाश एवं ध्वनि शो, कांके	राँची	2015	68/28.10.2015	स्व-संचालित
19	चिल्ड्रेन प्ले जॉन-सह-कियोस्क, सीतारामपुर डैम के पास	सरायकेला-खरसावाँ	2015	68/28.10.2015	निष्क्रिय
20	बाल उद्यान, कुदरसई	सरायकेला-खरसावाँ	2015	68/28.10.2015	निष्क्रिय
21	बाल उद्यान, सिदगोड़ा	पूर्वी सिंहभूम	लागू नहीं	68/28.10.2015	निष्क्रिय
22	पर्यटक सुविधा परिसर, त्रिकुट पहाड़ के समीप	देवघर	2016	13/21.01.2017	स्व-संचालित

परिशिष्ट-2.1.2

(कंडिका 2.1.3.2 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 169)

असंचालित/ आंशिक संचालित परिसंपत्तियों का विवरण

क्र. सं.	परिसंपत्तियों के नाम	निर्माण वर्ष/निर्माण लागत	जे.टी.डी .सी. को हस्तांतरण की तिथि	लेखापरीक्षा अवलोकन	टिप्पणी (जेटीडीसी द्वारा जून 2020 में दिया गया जवाब)
1.	पर्यटक परिसर, अजय बराज सिकटिया, सारठ, देवघर (फेज- 1 एवं फेज -2)	2017/ ₹ 296.00 लाख	04.07.2017	• दो पर्यटक परिसर का निर्माण बिना किसी पर्यटक प्रवाह अध्ययन के एक ही स्थान पर किया गया था। यह स्थान राज्य सरकार द्वारा स्थानीय महत्व के रूप में अधिसूचित है। • भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि पर्यटक परिसर का स्थान दूरस्थ था और बहुत कम आबादी थी। • निविदा के बावजूद दोनों परिसंपत्तियां असंचालित रहीं और इन पर्यटक परिसरों पर ₹ 2.96 करोड़ का खर्च अलाभकारी रहा।	• विभाग (जुलाई 2020) / जेटीडीसी (जून 2020) ने बताया कि परिसंपत्तियों को आउटसोर्स (दिसंबर 2019) में कर दिया गया था तथा इकरारनामा प्रक्रियाधीन है। जेटीडीसी एक ही स्थान पर दो परिसंपत्तियों के निर्माण पर कोई जवाब नहीं दिया। • वास्तविकता यह है कि इसके हस्तांतरण के बाद से ही परिसंपत्ति असंचालित है।
2.	पर्यटक परिसर, हुन्डरु, रांची	2012/₹10.00 लाख	23.03.2012	• डेवलपर द्वारा परिसंपत्तियों का उन्नयन कार्य नहीं किया गया था और इसलिए इकरारनामा (नवंबर 2018) को समाप्त कर दिया गया था। परिसंपत्ति का पुनः निविदा (फरवरी 2019) में की गई थी, लेकिन कोई भी डेवलपर सफल नहीं हो सका। • पर्यटक परिसर कम आबादी वाले जंगल में स्थित है जहाँ पर एकमात्र आकर्षण एक झरना है। इस प्रकार, पर्यटकों का रात्रि विश्राम में रुचि नहीं थी। परिणामस्वरूप, पर्यटक परिसर में दिसंबर 2019 तक कोई भी पर्यटक नहीं रहा और यह असंचालित रहा, जिसके परिणामस्वरूप 10 लाख रुपये का खर्च अलाभकारी रहा।	• विभाग (जुलाई 2020) / जेटीडीसी (जून 2020) ने बताया कि परिसंपत्ति को आउटसोर्स कर दिया गया है (जिसका एल.ओ.ए. दिसंबर 2019 में जारी किया गया) और इकरारनामा प्रक्रियाधीन है। • वास्तविकता यह है कि परिसंपत्ति असंचालित है ।
3.	पर्यटक परिसर, मैथन, धनबाद	लागू नहीं/लागू नहीं	25.07.2017	• जेटीडीसी द्वारा निविदा (अगस्त 2019) आमंत्रित की गई थी। • एल.ओ.ए. (दिसंबर 2019) जारी किया गया था किन्तु इकरारनामा (मई 2020) नहीं किया गया और परिसंपत्ति असंचालित है।	• विभाग (जुलाई 2020) / जेटीडीसी (जून 2020) ने बताया कि परिसंपत्ति को आउटसोर्स कर दिया गया है और इकरारनामा प्रक्रियाधीन है। • वास्तविकता यह है कि परिसंपत्ति मई 2020 तक असंचालित रही।
4.	पर्यटक परिसर, हेसाडीह, पश्चिम सिंहभूम	2015/₹148.48 लाख	23.03.2012	• निविदा (मार्च 2016) आमंत्रित की गई और एल.ओ.ए. (जून 2016) जारी किया गया किन्तु निविदाकार अनुस्मारक (अगस्त 2016 और अगस्त 2017) जारी करने के बावजूद भी नहीं आया।	• विभाग (जुलाई 2020) / जेटीडीसी (जून 2020) ने बताया कि पर्यटक परिसर एक दूरस्थ, कम आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है और इस परिसंपत्ति को डी.टी.पी.सी. को हस्तांतरित करने के लिए विभाग से अनुरोध किया गया है।

				• परिसंपत्ति मई 2020 तक असंचालित रही, जिसके परिणामस्वरूप ₹148.48 लाख का व्यय व्यर्थ हुआ।	
5.	पर्यटक परिसर, रामरेखा धाम, सिमडेगा	2009/₹22.00 लाख	28.10.2015	• यद्यपि निविदाएं आमंत्रित (मार्च 2016 और दिसंबर 2016) की गई पर कोई निविदाकार ने भाग नहीं लिया। • टी.ई.सी. ने पुन: निविदा आमंत्रित करने का फैसला किया, लेकिन बाद में कोई निविदा जारी नहीं की गई और परिसंपत्ति अपरिचालन में रही, जिसके परिणामस्वरूप 22 लाख रुपये का व्यय अलाभकारी रहा।	• वास्तविकता यह है कि परिसंपत्ति मई 2020 तक असंचालित रही।
6.	पर्यटक परिसर, गोदरमाना, गढ़वा	2004/₹59.00 लाख	28.10.2015	• निविदा मार्च 2016 में आमंत्रित की गई, केवल एक निविदाकार ने निविदा डाला और टी.ई.सी. ने फिर से निविदा मंगाने का फैसला किया, पुनःनिविदा दिसम्बर 2016 में हुई परंतु कोई निविदाकार नहीं आया। • इसके बाद कोई भी निविदा आमंत्रित नहीं की गई। परिसंपत्ति असंचालित रही, जिसके परिणामस्वरूप 59 लाख रुपये का व्यय अलाभकारी रहा।	
7.	पर्यटक परिसर, बारीडीह, जमशेदपुर	2010/ ₹ 30.55 लाख	28.10.2015	• निविदा मार्च 2016 में आमंत्रित की गई जिसमे केवल एक निविदाकार तकनीकी रूप से योग्य पाया गया । पुन: निविदा दिसंबर 2016 में हुई परन्तु इकरारनामा सफल डेवलपर के साथ नहीं हो सका जिसका अभिलेखों में कोई कारण नहीं दर्शाया गया। • जेटीडीसी ने सूचित किया कि यह परिसंपत्ति असंचालित है। संयुक्त भौतिक सत्यापन (जनवरी 2020) के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि पर्यटक परिसर का उपयोग जेटीडीसी के संज्ञान के बिना वैवाहिक कार्यक्रम के लिए किया जा रहा था।	• विभाग (जुलाई 2020) ने कहा कि जेटीडीसी ने परिसंपत्ति का दखल नहीं लिया और जिला प्रशासन से अनुरोध किया गया कि परिसंपत्ति के संचालन की स्थिति तथा राजस्व प्राप्ति की स्थिति बताया जाए। • वास्तविकता यह है कि परिसंपत्ति का संचालन जेटीडीसी के द्वारा नहीं किया जा सका।
8.	होटल अरण्य विहार, हजारीबाग	लागू नहीं/लागू नहीं	21.06.2004	• अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान नहीं करने के कारण इकरारनामा समाप्त (जनवरी, 2017) किया गया। • परिसंपत्ति को आउटसोर्स करने के लिए निविदा (दिसम्बर 2018) आमंत्रित किया गया किन्तु कोई भी निविदाकार नहीं आया। • पुनः निविदा (फरवरी 2019) किया गया जिसमें जून, 2019 में निविदिकार को चयनित किया गया। • यद्यपि परिसंपत्ति को आउटसोर्स किया गया किन्तु संयुक्त भौतिक सत्यापन (जनवरी 2020) में यह पाया गया कि परिसंपत्ति असंचालित और जर्जर स्थिति में थी।	• विभाग (जुलाई, 2020)/ जेटीडीसी (जून 2020) में बताया कि परिसंपत्ति को आउटसोर्स कर प्रभार (जनवरी, 2020) में दिया गया है, परिसंपत्ति का उन्नयन डेवलपर के द्वारा किया जा रहा है। • वास्तविकता यह है कि परिसंपत्ति मई 2020 तक असंचालित रही।
9.	होटल शीतल विहार, बरही, हजारीबाग	लागू नहीं/लागू नहीं	21.06.2004	• डेवलपर ने इसे आगे चलाने में असमर्थता जाहिर करने के कारण जेटीडीसी ने इसका प्रभार(फरवरी 2015) में लिया । जेटीडीसी ने निविदा (दिसम्बर 2016 और दिसम्बर 2017) आमंत्रित किया, लेकिन कोई भी निविदाकार नहीं आया ।	• विभाग (जुलाई, 2020)/ जेटीडीसी(जून 2020) में बताया कि परिसंपत्ति को आउटसोर्स कर प्रभार (दिसम्बर 2019) में दिया गया है, परिसंपत्ति का उन्नयन डेवलपर के द्वारा किया जा रहा है।

				• दिसम्बर, 2018 के निविदा में निविदाकार का चयन (फरवरी 2019) किया गया और आउटसोर्स (अगस्त 2019) हुआ। लेकिन, संयुक्त भौतिक सत्यापन (जनवरी, 2020) में पाया गया कि यह परिसंपत्ति असंचालित था।	• वास्तविकता यह है कि परिसंपत्ति मई 2020 तक असंचालित रही।
10.	मार्गीय सुविधा केंद्र चांडिल, सरायकेला-खरसावाँ	2017/₹124.40 लाख	08.06.2017	• निविदा दिसम्बर 2018 और फरवरी 2019 में आमंत्रित किया गया परंतु कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। • परिसंपत्ति असंचालित रहा और ₹ 124.40 लाख का व्यय अलाभकारी रहा।	
11.	मार्गीय सुविधा केंद्र, हमसदा, सरायकेला-खरसावाँ	2017/₹206.67 लाख	08.06.2017	• दिसम्बर 2018 में निविदा आमंत्रित किया गया किन्तु कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। पुनः निविदा फरवरी 2019 में आमंत्रित की गई जिसमें केवल एक निविदा प्राप्त हुई और टी.ई.सी ने पुनः निविदा करने का निर्णय लिया। • इसके बाद कोई निविदा नहीं आमंत्रित की गयी। परिसंपत्ति असंचालित रहा जिसके परिणामस्वरूप 206.67 लाख रुपये का अलाभकारी व्यय हुआ।	
12.	मार्गीय सुविधा केंद्र, महेशपुर, पाकुड़	2015/₹120.00 लाख	25.03.2015	• निविदा मार्च 2016 में आमंत्रित की गई जिसमें एक निविदा प्राप्त हुई। पुनः निविदा दिसम्बर 2016 में हुई जिसमें दो निविदा प्राप्त हुई किन्तु दोनों तकनीकी रूप से योग्य नहीं थे। टी.ई.सी. ने पुनः निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया। परन्तु, इसके बाद परिसंपत्ति को आउटसोर्स करने के लिए कोई निविदा आमंत्रित नहीं की गई। • जेटीडीसी ने परिसंपत्ति को डी.टी.पी.सी. को हस्तांतरित करने का निवेदन विभाग से (जून 2019) किया। विभाग की कार्रवाई प्रतीक्षित है। परिसंपत्ति असंचालित रहा जिसके परिणामस्वरूप 120 लाख रुपये का अलाभकारी व्यय हुआ।	• विभाग(जुलाई 2020)/ जेटीडीसी (जून 2020) के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। • वास्तविकता यह है कि जेटीडीसी को इनके स्थानांतरण के समय से यह परिसंपत्ति असंचालित रहा।
13.	मार्गीय सुविधा केंद्र, माझा टोली, गुमला	2015/₹172.93 लाख	25.03.2015	• निविदा मार्च 2016 में आमंत्रित की गई जिसमें केवल एक निविदाकार तकनीकी रूप से योग्य था। पुनः निविदा दिसम्बर 2016 में हुई परन्तु सफल निविदाकार के साथ इकरारनामा नहीं हो सका, जिसका अभिलेखों में कोई कारण नहीं दर्शाया गया। • डी.टी.पी.सी. को परिसंपत्ति हस्तांतरण करने हेतु जेटीडीसी के अनुरोध (जून 2019) पर विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। परिसंपत्ति (मई 2020 तक) असंचालित रहा जिसके परिणामस्वरूप 172.93 लाख रुपये का अलाभकारी व्यय हुआ।	
14.	मार्गीय सुविधा केंद्र, तमाड़, राँची	2011/₹36.95 लाख	23.03.2012	• परिसंपत्ति आउटसोर्स(जुलाई 2015) किया गया। लेकिन, डेवलपर इसे बिजली और पानी के सुविधा की कमी के कारण विकसित करने में असमर्थता (जुलाई 2015) जाहिर किया। इकरारनामा जेटीडीसी के द्वारा समाप्त (अगस्त 2017) किया गया।	• विभाग(जुलाई 2020)/ जेटीडीसी (जून 2020) ने बताया कि अनुज्ञप्तिधारक के द्वारा पी.आई.पी. जमा नहीं करने के कारण परिसंपत्ति का संचालन नहीं किया जा सका. • वास्तविकता यह है कि परिसंपत्ति मई 2020 तक असंचालित रही।

				• जेटीडीसी ने निविदा (दिसम्बर 2018) आमंत्रित किया और डेवेलपर के साथ इकरारनामा (जुलाई 2019) किया तथा परिसंपत्ति के उन्नयन हेतु उसे पी.आई.पी. जमा करने केलिए प्रयासरत है। • परिसंपत्ति के हस्तांतरण के आठ वर्ष बीत जाने के बाद भी असंचालित रहा जिसके परिणामस्वरूप 36.95 लाख रुपये का व्यय अलाभकारी रहा।	
15.	मार्गीय सुविधा केंद्र, धालभूमगढ़, पूर्वी सिंहभूम	2017/₹235.26 लाख	08.06.2017	• निविदाएँ दिसम्बर 2018 और फरवरी 2019 में आमंत्रित की गयी किन्तु कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हुई। • संयुक्त भौतिक सत्यापन (जनवरी 2020) के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि वहाँ कोई बिजली आपूर्ति, चहरदीवारी और पहुँच पथ नहीं होने के कारण डेवलपर ने रूचि नहीं दिखाई, यद्यपि भवन अच्छी स्थिति में था। सरकार/ जेटीडीसी साईन बोर्ड/ प्रतीक चिह्न नहीं था। • परिसंपत्ति मई 2020 तक असंचालित रहा जिसके परिणामस्वरूप 235.26 लाख रुपये का व्यय अलाभकारी रहा।	• विभाग(जुलाई 2020)/ जेटीडीसी (जून 2020) ने बताया कि इस परिसंपत्ति को दिसम्बर 2019 में यथास्थिति के आधार पर आउटसोर्स किया गया, जिसे पट्टाधारी द्वारा उन्नयन किया जायेगा। • वास्तविकता यह है कि परिसंपत्ति जेटीडीसी के इसके हस्तांतरण के समय से असंचालित रही।
16.	मार्गीय सुविधा केंद्र, कान्द्रा, सरायकेला-खरसावाँ	2011/₹100.00 लाख	23.03.2012	• परिसंपत्ति आउटसोर्स (अगस्त 2013) किया गया, किन्तु डेवेलपर द्वारा बिजली, पानी तथा पहुँच पथ के अभाव के कारण इसे विकसित करने से मना (जुलाई 2015) किया। • इकरारनामा को जून 2017 में निरस्त किया गया। परिसंपत्ति असंचालित रही, जिसके परिणामस्वरूप 100 लाख रुपये का व्यय अलाभकारी रहा।	• विभाग(जुलाई 2020) /जेटीडीसी(जून 2020) ने स्वीकार किया कि डेवेलपर ने पहुँच पथ और अतिक्रमण के कारण परिसंपत्ति के संचालन करने में असमर्थता जाहिर की और परिसंपत्ति जेटीडीसी के द्वारा चलायी जा रही है। • जेटीडीसी द्वारा जुलाई 2019 से परिसंपत्ति को स्व-संचालित होने की बात सही नही हैं, क्योंकि इस परिसंपत्ति में जुलाई 2020 तक कोई पर्यटक का आवागमन और इससे कोई आय सृजित नहीं हुई थी।
17.	बहुद्देशीय भवन, पथरोल मन्दिर, देवघर	2016/ ₹ 52.70 लाख	28.10.2015	• इन दोनों परिसंपत्तियों के लिए निविदा मार्च 2016 में आमंत्रित की गई - एकल निविदा प्राप्त हुई। पुनः निविदा (दिसम्बर 2016) आमंत्रित की गई- प्राप्त निविदा तकनीकी रूप से अयोग्य थे। टी.ई.सी. ने पुनः निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया - इसके बाद परिसंपत्ति को आउटसोर्स करने हेतु कोई निविदा आमंत्रित नहीं किया गया। • जेटीडीसी के अभिलेखों के अनुसार, ये परिसंपत्तियाँ असंचालित हैं। हालाँकि, संयुक्त भौतिक सत्यापन (मार्च 2020) के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि परिसंपत्ति का संचालन जेटीडीसी/विभाग के संज्ञान के बिना ग्राम समिति के द्वारा संचालित किया जा रहा था। जेटीडीसी/सरकार का साईन बोर्ड/प्रतीक चिन्ह नहीं लगे हुए थे। • जेटीडीसी परिसंपत्ति का संचालन करने में असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप इन परिसंपत्तियों पर अलाभकारी व्यय हुआ।	• विभाग/ जेटीडीसी ने विशिष्ट उत्तर नहीं दिया और कहा कि संपत्ति दूरस्थ स्थान पर अवस्थित है, जहाँ सिर्फ कभी -कभार पर्यटकों के आने की अपेक्षा की जाती है तथा विभाग को परिसंपत्ति जिला पर्यटन प्रोत्साहन समिति को हस्तांतरित करने हेतु निवेदन किया गया था।
18.	विवाह मंडप-सह-अतिथि गृह, चौगाना धाम, छतरपुर ,पलामू	2015/ ₹ 39.04 लाख	28.10.2015		

19.	बहुद्देशीय भवन- सह-अतिथि गृह, पुनासी, देवघर	2018/₹189.92 लाख	29.10.2018	• शुरूआत में निर्माण स्थान पुनासी डैम के नजदीक चिन्हित था परंतु स्थानीय विरोध के कारण, एम.पी.बी का निर्माण अन्य स्थल पर किया गया • संयुक्त भौतिक सत्यापन (दिसम्बर 2019) के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि एम.पी.बी. दूरस्थ स्थान पर अवस्थित था, जहाँ से डैम को देखा नहीं जा सकता था और डैम तक पहुँचने के लिए कोई सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं थी। • भवन या उसके नजदीक के क्षेत्र में कोई बिजली की सुविधा नहीं थी। पुनासी डैम के नजदीक एम.पी.बी. से संबंधित कोई भी विज्ञापन नहीं लगाई गई थी। राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र को पर्यटन के रूप में अधिसूचित भी नहीं किया था।	• विभाग(जुलाई 2020)/जेटीडीसी(जून 2020) ने तथ्य को स्वीकार किया और कहा कि सम्पत्ति में बहुत संभावनाएं है और इसे बहुत जल्द आउटसोर्स किया जाएगा। • वास्तविकता यह है कि परिसंपत्ति जेटीडीसी को इसके हस्तांतरण के समय से असंचालित रही।
20.	बहुद्देशीय भवन, योगिनी स्थान, गोड्डा	2016/₹46.08 लाख	28.10.2015	• जेटीडीसी ने दोनों परिसंपत्तियों के लिए मार्च 2016 में निविदा आमंत्रित किया- एकल निविदा प्राप्त हुआ। पुन: निविदा दिसम्बर 2016 में आमंत्रित किया गया -सफल निविदाकार के साथ इकरारनामा नहीं किया गया जिसका कोई कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। • इसके बाद में परिसंपत्ति को आउटसोर्स करने के लिए कोई भी निविदा आमंत्रित नहीं की गई। • डी.टी.पी.सी. को परिसंपत्ति हस्तांतरण करने हेतु जेटीडीसी के अनुरोध पर विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। • इस तरह ये परिसंपत्तियाँ असंचालित रही जिसके परिणामस्वरूप इन परिसंपत्तियों पर व्यय अलाभकारी रहा।	• विभाग (जुलाई 2020)/ जेटीडीसी (जून 2020) ने स्वीकार किया कि इन परिसंपत्तियों का निर्माण दूरस्थ क्षेत्र में किया गया था, जहाँ पर्यटक ठहरना पसन्द नहीं करते और जेटीडीसी द्वारा इन परिसंपत्तियाँ का संचालन तथा प्रबंधन संभव नहीं है। • आगे, जेटीडीसी ने कहा कि विभाग ने इसके संचालन के लिए संपत्ति का हस्तांतरण डी.टी.पी.सी. को किये जाने का अनुरोध किया। • वास्तविकता यह है कि ये दोनों परिसंपत्तियाँ असंचालित रही।
21.	बहुद्देशीय भवन, शिवपुर, रत्नेश्वर धाम, गोड्डा	2016/₹51.78 लाख	28.10.2015		
22.	बहुद्देशीय भवन, धमसा मन्दिर, गोड्डा	2016/₹51.78 लाख	28.10.2015	• निविदा मार्च 2016 में आमंत्रित की गई- एकल निविदा प्राप्त हुई। पुन: निविदा दिसम्बर 2016 में आमंत्रित की गई - दो निविदाएँ प्राप्त हुई और निविदाकारों को नोटरीकृत और प्रमाणित दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया। इन दस्तावेजों के जमा करने व निविदा के परिणाम का अभिलेख उपलब्ध नहीं था। • इसके बाद कोई निविदा नहीं हुआ और परिसंपत्ति असंचालित रही, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 51.78 लाख व्यय अलाभकारी रहा।	• विभाग (जुलाई 2020)/ जेटीडीसी (जून 2020 ने स्वीकार किया कि परिसंपत्ति असंचालित थी और कहा कि जेटीडीसी द्वारा परिसंपत्ति का संचालन और प्रबंधन संभव नहीं है। जेटीडीसी ने आगे कहा कि परिसंपत्ति दूरस्थ क्षेत्र में है जहाँ पर्यटक ठहरना पसन्द नहीं करते। • जेटीडीसी ने आगे कहा कि विभाग ने इसके संचालन के लिए परिसंपत्ति का हस्तांतरण डी.टी.पी.सी. को किये जाने का अनुरोध किया है।
23.	बहुद्देशीय भवन, हरिहर धाम, गिरिडीह	2015/₹64.26 लाख	28.10.2015	• निविदा मार्च 2016 में आमंत्रित की गई- कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई। पुन: निविदा (दिसम्बर 2016) में आमंत्रित की गई - प्राप्त दो निविदा तकनीकी रूप से अयोग्य थे। टी.ई.सी. ने पुन: निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया किन्तु इसके बाद कोई भी निविदा आमंत्रित नहीं की गई।	-वही-

				• परिसंपत्ति असंचालित रही, जिसके परिणामस्वरूप रू 64.26 लाख का व्यय अलाभकारी रहा।	
24.	कम्यूनिटी सेंटर बिल्डिंग, पर्यटक सुविधा परिसर, किचेन शेड, धोरीमता मरियम, फुसरो,बोकारो	2015/₹133.45 लाख	28.10.2015	• निविदा मार्च 2016 एवं दिसम्बर 2016 में आमंत्रित की गई और दोनों अवसर पर एकल निविदा प्राप्त हुआ। टी.ई.सी. ने पुन: निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया, लेकिन इसके बाद परिसंपत्ति को आउटसोर्स करने के लिए कोई भी निविदा आमंत्रित नहीं की गई। • परिसंपत्ति असंचालित रही जिसके परिणामस्वरूप ₹ 133.45 लाख का व्यय अलाभकारी रहा।	-वही-
25.	संस्कार भवन, अमरेश्वर धाम खूँटी	2013/₹51.00 लाख	25.03.2015	• निविदा (मार्च 2016) आमंत्रित की गई और एल.ओ.ए (जून 2016) जारी किया गया, किन्तु निविदाकार अनुस्मारक (अगस्त 2016 और अगस्त 2017) जारी करने के बावजूद भी नहीं आया। • परिसंपत्ति मई 2020 तक असंचालित रही, जिसके परिणामस्वरूप ₹51.00 लाख का व्यय व्यर्थ रहा।	-वही-
26.	संस्कार भवन, विन्ध्वासिनी मन्दिर, साहेबगंज	2015/₹44.75 लाख	25.03.2015	• निविदा मार्च 2016 में आमंत्रित की गई -एकल निविदा प्राप्त हुई। पुनः दिसम्बर 2016 में निविदा आमंत्रित की गई- दो निविदाएँ प्राप्त हुई और निविदाकारों को नोटरीकृत और प्रमाणित दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया। इन दस्तावेजों के जमा करने व निविदा के परिणाम का अभिलेख उपलब्ध नहीं था। • इसके बाद कोई निविदा नहीं हुआ और परिसंपत्ति असंचालित रही, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 44.75 लाख व्यय अलाभकारी रहा।	-वही-
27.	गंगा भवन, राजमहल, साहेबगंज	2013/₹1.11क रोड़	25.03.2015	• जेटीडीसी ने इस परिसंपत्ति के आउटसोर्स करने केलिए निविदा दिसम्बर 2016, दिसम्बर 2017, दिसम्बर 2018 और फरवरी 2019 में आमंत्रित किया, लेकिन कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई। • परिसंपत्ति असंचालित रही जिसके परिणामस्वरूप ₹ 110.76 लाख व्यय अलाभकारी रहा।	-वही-
28.	रेस्टोरेंट-सह-हॉल, पालकोट, गुमला	2015/₹59.14 लाख़	28.10.2015	• निविदा मार्च 2016 में आमंत्रित की गई- प्राप्त चार निविदाओ में से सिर्फ एक तकनीकी रूप से योग्य था। पुन: निविदा दिसम्बर 2016 में आमंत्रित की गई- एकल निविदा प्राप्त हुई। • टी.ई.सी. ने पुन: निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया, लेकिन इसके बाद परिसंपत्ति के आउटसोर्स के लिए कोई भी निविदा आमंत्रित नहीं की गई और परिसंपत्ति असंचालित रही, जिसके परिणामस्वरूप रू 59.14 लाख का व्यय अलाभकारी रहा।	-वही-

29.	बहुद्देशीय भवन, बुढ़ई मन्दिर, देवघर	2016/₹51.76 लाख़	28.10.2015	• निविदा मार्च 2016 और दिसम्बर 2016 में आमंत्रित की गई- किस कारण से निविदा को अंतिम रूप नहीं किया गया, अभिलेख में उपलब्ध नहीं था। • संयुक्त भौतिक सत्यापन (दिसंबर 2019) के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि भवन के दीवारों में दरारें थी, खिड़कियों के पैनल टूटे हूए थे तथा एम.पी.बी. के बाहर शौचलय/हैण्डपंप अक्रियाशील था। एम.पी.बी. दूरस्थ स्थान पर अवस्थित था तथा परिसंपत्ति की सुरक्षा हेतु जेटीडीसी द्वारा कोई कर्मचारी तैनात नहीं किया गया था। • यह स्थान राज्य सरकार द्वारा एक पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं था। परिसंपत्ति असंचालित रही और ₹ 51. 76 लाख का व्यय अलाभकारी रहा।	• विभाग (जुलाई 2020)/ जेटीडीसी (जून 2020) ने स्वीकार किया कि परिसंपत्ति दूरस्थ स्थान पर स्थित है, जहाँ कभी-कभार पर्यटक के आने की संभावना है और आगे कहा कि डीटीपीसी द्वारा इसके संचालन के लिए विभाग से इसका हस्तांतरण करने का अनुरोध किया गया। • वास्तविकता यह है कि यह परिसंपत्ति असंचालित रही।
30.	पर्यटक सूचना केंद्र, हजारीबाग	2011/₹83.05 लाख़	23.03.2012	• अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा प.सू.के. को परिसर में असमाजिक गतिविधियों के संचालन के आधार पर सील (सितम्बर 2018) कर दिया गया। • डेवलपर के साथ इकरारनामा निरस्त (नवम्बर 2018) कर दिया गया। संयुक्त भौतिक सत्यापन में लेखापरीक्षा ने पाया कि परिसंपत्ति असंचालित थी, आधारभूत सुविधाओं की कमी एवं रख-रखाव दयनीय था।	• विभाग (जुलाई 2020)/ जेटीडीसी (जून 2020) ने बताया कि डेवलपर को परिसंपत्ति का विकास एवं उन्नयन करने केलिये, सफल निविदाकार को एल.ए.ओ. (दिसंबर 2019) जारी किया गया • वास्तविकता यह है कि इकरारनामा सफल निविदादाता के साथ नहीं किया गया और परिसंपति असंचालित रही।
31.	पर्यटक सूचना केंद्र, देवघर	2014/₹49.05 लाख़	25.03.2015	• डेवलपर के साथ निष्पादित इकरारनामा (फरवरी 2016) वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान नहीं करने के कारण निरस्त (मई 2018) कर दी गई। • अनुमोदित पी.आई.पी. के अनुसार परियोजना सुविधाओं का उन्नयन डेवलपर द्वारा करना था और यदि इकरारनामा समाप्त हो जाता है तो परियोजना स्थल एवं परियोजना सुविधाओ को जेटीडीसी को सौप दिया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया की इकरारनामा के निरस्त होने के बाद परियोजना सुविधाए जैसे वाटर कूलर, इनवर्टर, स्वीट डिस्प्ले काउंटर, अग्नि शामक यंत्र, बैटरी, माइक्रो वेभ, लेजर प्रिंटर इत्यादि का प्रभार जेटीडीसी लेने में असफल रहा।	• विभाग (जुलाई 2020) / जेटीडीसी (जून 2020) ने कहा कि डेवलपर ने इकरारनामा की रेस्टोरेशन के लिए उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया है। • वास्तविकता यह है कि परिसंपत्ति मई 2018 से असंचालित रहा। • डेवलपर द्वारा परियोजना सुविधाओं को नहीं सौंपने के बारे में जेटीडीसी ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया।
32.	पर्यटक सूचना केंद्र, राजमहल, साहेबगंज	2015/₹49.36 लाख़	28.10.2015	• निविदा मार्च 2016 में किया गया- डेवलपर को चयनित (मई 2017) किया गया, लेकिन किन्हीं कारणों से इकरारनामा नहीं हो पाया जिसका कारण अभिलिखों में नहीं दर्शाया गया है। • परिसंपत्ति असंचालित रही जिसके परिणामस्वरूप ₹ 49.36 लाख का व्यय अलाभकारी रहा।	• विभाग (जुलाई 2020) / जेटीडीसी (जून 2020) ने विशिष्ट जवाब नहीं दिया।
33.	पर्यटक सूचना केंद्र, जमशेदपुर	2011/₹81.84 लाख़	23.03.2012	• संयुक्त भौतिक सत्यापन (जनवरी 2020) के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि परिसंपत्ति कचहरी परिसर में बगैर साईन बोर्ड/प्रतीक चिन्ह के अवस्थित है और बंद था। • परिसंपत्ति हस्तांतरण के बाद से असंचालित रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 81.84 लाख का व्यय अलाभकारी रहा।	• विभाग (जुलाई 2020)/ जेटीडीसी (जून 2020) ने कहा कि आउटसोर्सिंग हेतु इकरारनामा (जनवरी 2020) किया गया और परिसंपत्ति का संचालन उन्नयन का कार्य पूर्ण करने के बाद होगा।

34.	ध्वनि एवं प्रकाश शो, शिल्प ग्राम, देवघर	2015/₹305.00 लाख़	27.01.2015	• जेटीडीसी ने प्रणाली का संचालन (फरवरी 2015) में शुरू किया किन्तु कुछ खराबी (फरवरी 2016 और जून 2016) के कारण बंद रहा। खराबी को ठीक किया गया लेकिन वज्रपात के कारण प्रणाली पुनः बंद (जुलाई 2016) हो गई तथा तब से यह निष्क्रिय पड़ा है। • परिसंपति असंचालित रहा जिसके परिणामस्वरूप • ₹ 305 लाख का व्यय अलाभकारी रहा।	• विभाग (जुलाई 2020)/ जेटीडीसी (जून 2020) ने तथ्य को स्वीकार किया और कहा कि ध्वनि एवं प्रकाश शो, के खराबियों की सुधार के बाद चालू किया जाएगा। जवाब क्रम में नहीं है। हालांकि, सच्चाई यह है कि यह परिसंपत्ति बंद होने के चार वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी अक्रियाशील है।
35.	चिल्ड्रेन प्ले जॉन -सह-कियोस्क, सीतारामपुर डेम, सरायकेला खरसवाँ	2015/₹24.00 लाख़	28.10.2015	• जेटीडीसी ने निविदा (मार्च 2016) आमंत्रित किया एवं सफल निविदाकार को एल.ओ.ए. (जून 2016) जारी किया, किन्तु अनुस्मारक (अगस्त 2016 एवं अगस्त 2017) जारी करने के बावजूद भी निविदाकार इकरारनामा सम्पादित करने हेतु नहीं आया। • परिसंपत्तियां असंचालित रहीं जिसके फलस्वरूप व्यय व्यर्थ रहा।	• विभाग (जुलाई 2020)/ जेटीडीसी (जून 2020) ने तथ्य को स्वीकार किया एवं कहा कि ये परिसंपत्तियां वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं हैं तथा इन परिसंपत्तियों को डी.टी.पी.सी को हस्तांतरित करने केलिए विभाग से अनुरोध किया गया है।
36.	चिल्ड्रेन उद्यान, कुदरसई , सरायकेला खरसावाँ	2015/₹36.58 लाख़	28.10.2015		
37.	चिल्ड्रेन प्ले जोन सिदगोड़ा, पूर्वी सिंहभूम	लागू नहीं/लागू नहीं	28.10.2015	• जेटीडीसी ने निविदा दिसंबर 2016 में आमंत्रित किया। तकनीकी रूप से कोई भी निविदाकार योग्य नहीं था एवं टी.ई.सी. ने पुनः निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया । इसके उपरांत कोई भी निविदा आमंत्रित नहीं की गयी एवं जेटीडीसी इस परिसंपत्ति के संचालन में विफल रहा। • जेटीडीसी के अभिलेख में इस परिसंपत्ति को असंचालित दर्शाया गया है किन्तु संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया गया कि यह परिसंपत्ति स्थानीय समिति द्वारा संचालित है।	• विभाग (जुलाई 2020) ने कहा कि यह परिसंपत्ति जिला प्रशासन के अधीन है। • जवाब विश्वासप्रद नहीं है क्योंकि इस परिसंपत्ति को जेटीडीसी ने अपने अभिलेख में असंचालित दर्शाया है, जबकि संयुक्त भौतिक सत्यापन में यह परिसंपत्ति स्थानीय समिति द्वारा संचालित पाया गया।
38.	पर्यटक स्थल, हटिया, राँची	लागू नहीं/₹400.00 लाख़	25.03.2015	• हस्तांतरण परिपत्र के अनुसार, इस परिसंपत्ति का संचालन आउटसोर्सिंग अथवा पी.पी.पी माध्यम से किया जाना था। हालाँकि यह परिसंपत्ति विभाग की अनुमति के बिना आंशिक रूप से स्व-संचालित थी। वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान केवल 15 से 50 बुकिंग हुई तथा ₹ 53,500 की कमाई हुई थी। कॉटेज ख़राब हालत में थीं, फूड कोर्ट असंचालित थीं एवं कोई पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था नहीं थी।ss • परिसंपत्ति पर पर्याप्त व्यय के बावजूद जेटीडीसी द्वारा इसे आउटसोर्स करने के लिये कोई निविदा आमंत्रित नहीं की गई थी, परिणामस्वरूप चार करोड़ रूपये का व्यय अलाभकारी रहा।	• विभाग (जुलाई 2020)/ जेटीडीसी (जून 2020) ने कहा कि वे इसके संचालन के माध्यम पर निर्णय लेंगें। • जवाब सही नहीं है, क्योंकि विभाग के निर्देश (2015) के अनुसार इस परिसंपत्ति को आउटसोर्स के माध्यम से संचालित किया जाना था जबकि पाँच वर्ष बीत जाने के बाद भी इसका संचालन किस माध्यम से किया जाना है विचाराधीन है।
39.	पर्यटक स्थल, रेस्टोरेंट एवं फ़ूड कोर्ट, कांके डैम, रांची	2012/₹430.00 लाख़	23.03.2012	• संयुक्त भौतिक सत्यापन (दिसम्बर 2019) में लेखापरीक्षा ने पाया कि यह परिसंपत्ति आंशिक रूप से (केवल उद्यान) संचालित थी। • रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट एवं म्यूजिकल फाउंटेन अक्रियाशील थीं, रेस्टोरेंट एवं फूड कोर्ट जीर्ण-शीर्ण स्थिति में थीं।	• विभाग (जुलाई 2020)/ जेटीडीसी (जून 2020) ने कहा कि परिसंपत्ति को आउटसोर्स (मार्च 2020) कर दिया गया है एवं उन्नयन के उपरांत इसका संचालन आरम्भ कर दिया जायेगा। तथ्य यह है कि परिसंपत्ति अब तक केवल आंशिक रूप से संचालित है।
	कुल	**3,967.54**			